



भारतीय चुनावों में NOTA का वकिलप

प्रलिस के लयः

[लुकपरतनधतव अधनयडड, 1951](#), [NOTA](#), नयडड 49-0, [भारत का नरवचन आडड](#), सामान्य वततततत नयडड, [भारत का सरवकुच नयाडडलड](#), [राषटुरतत और राजड सतरततत दल](#)

डनस के लयः

'नरवरररध नरवचतत डडने' के परणडड, लुकपरतनधतव अधनयडड, 1951, NOTA की परडडवशीलतत

[सरतःडंडडतन डकसपरस](#)

चरुा डें कुडडड?

डाल डी डें डडुड परदेश के डंडर डें [लुकसडड](#) चुनल डें डक डललेखनतत परणडड देखने कु डलतत, डसडें [NOTA \(डपरडुकुत डें से कुडड नरर\)](#) वकलड कु 2 ललख से अधक डत परलडत डुर, डु कुसतत डी नरवचन कुषुतर डें NOTA के लडत डड तक का सडसे अधक डत परतशत डै ।

भारततत चुनलडें डें NOTA कुड डै?

परकुडड:

- डह डतडतरुं और [डलेकटरुनकत वुडतग डशीनुं \(EVMs\)](#) पर डतदलन का डक वकलड डै डु डतदलतलडुं कु कुसतत डी डडडदवलर कु चुने डनत सडडी डडडदवलरुं के परतत डडनत असडडतत दरशाने कु डनुडतत डतत डै ।
- NOTA डतदलतलडुं कु डतदलन के परतत डडने नकरलतडक वकलर और दलवेदलरुं के परतत सडडरुथन कु कडड कु वडकुत करने का अधकलर डतत डै ।
- डह डनुडें डडने नरणडड कु डुडनततत डनलड ररखते डुर असुवीकर करने का अधकलर डतत डै ।

डृषुतडुडडड:

- वरुष 1999 डें डडनत 170वीं रडुडरुड डें [वधत आडड](#) ने 50%+1 डतदलन परणलत के सलथ-सलथ नकरलतडक डतदलन कु अवधलरणल कु सडडरलश कु, लेकनत वडलवडलरकत चुनुततततुं के करण डस डडले पर कुडड अंतड सडडरलश नरर डी डरु ।
- सततडडर 2013 डें [सरवकुच नयाडडलड](#) ने [भारत के नरवचन आडड \(ECI\)](#) कु डतदलतलडुं कु डसंद कु डुडनततत कु सुरकुषा के डडलड के रूड डें [NOTA](#) वकलड डेश करने का नरदश दतत ।
 - [डुडुलस डूनडतन डुडर सवलत लडरुडतत \(PUCL\)](#) ने वरुष 2004 डें डतदलतलडुं के 'डुडनततत के अधकलर' कु रकुषा के डडलडुं कु डडंग करते डुर सरवकुच नयाडडलड डें डडुल कु थु ।
 - डनुडुंने तरक दतत क नरवचनुं का संचलन नडड, 1961 ने डुडनततत डहलू का डललंडन कतत कुडुंकडुडुडलसुन अधकलरतत (ECI से) डन डतदलतलडुं, डनुडुंने वुड नरर डेने का वकलड चुनल, के डसुतलकुषर डल अंगुडे के नशलन के सलथ रकुडरुड ररखतत थल ।

NOTA का डरथड डरडुड:

- NOTA का डहलु डलर डरडुड वरुष 2013 डें डडुच राजडुं कुतुततसडड, डडुडुरड, राजसुथलन, दललतुल और डडुड परदेश के वधलनसडड चुनलडुं डें तथल डलद डें वरुष 2014 के डड चुनलडुं डें कतत डतत थल ।
- डसे वरुष 2013 डें [PUCL](#) [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] डें [सरवकुच नयाडडलड](#) के नरदश के डलद चुनलवी डरकरडत डें शलडलत कतत डतत थल ।

डदल NOTA कु सडसे डुडलदल डत डरलडत डु तु कुड डुडल?

- [भारत का नरवचन आडड](#) ने सडुषुट कतत क [NOTA](#) के रूड डें डलले डड वुडुं कु डनततत कु डलतत डै, लेकनत डनुडें 'डडलनड वुड' डलनल डलतत डै ।

- यदि NOTA को किसी नरिवाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त हों, तो ऐसी स्थिति में दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले अगले उम्मीदवार को वजिता घोषित किया जाता है। अतः **NOTA** को दिये गए मत चुनाव के परिणाम को नहीं बदलते हैं।
- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय **NOTA** को सबसे अधिक मत मिलने की स्थिति में दशा-नरिदेश/नयियों की मांग करने वाली एक याचिका पर वचार कर रहा है, जिसमें चुनाव को रद्द करने और नए चुनाव कराने की संभावना भी शामिल है।
 - महाराष्ट्र, हरियाणा और पुदुचेरी जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही **NOTA** को "काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार" घोषित कर दिया है, जहाँ **NOTA** को बहुमत मिलने पर पुनः चुनाव कराए जाते हैं।

NOTA से संबंधित ऐतिहासिक नरिणय क्या हैं?

- **2002, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024, 1993:**
 - उच्चतम न्यायालय ने माना कि "मतदान किसी व्यक्ति द्वारा किसी वषिय या मुद्दे पर अधिकार का प्रयोग करने के लिये इच्छा या राय की औपचारिक अभिव्यक्ति है" और मत देने के अधिकार से तात्पर्य प्रस्ताव या संकल्प के पक्ष में या उसके वरिद्ध अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार से है।
 - ऐसा अधिकार तटस्थ रहने के अधिकार को भी दर्शाता है।
- **पीपुल्स युनियन फॉर सविलि लबिर्टीज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला, 2013:**
 - उच्चतम न्यायालय ने EVM पर "इनमें से कोई नहीं" (**NOTA**) बटन का प्रावधान अनवार्य कर दिया है, ताकि मतदाता गोपनीयता बनाए रखते हुए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रति असंतोष व्यक्त कर सकें।
 - न्यायालय की 3 जजों की बेंच ने कहा कि "चाहे मतदाता अपना मत डाले या न डाले, दोनों ही मामलों में गोपनीयता बनाए रखनी होगी।"
 - यह नरिणय मतदाताओं को सशक्त बनाकर तथा नषिपक्ष चुनाव को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को बढ़ाने के लिये लिया गया।
- **2002, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024, 2018:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि प्रत्यक्ष चुनावों में **NOTA** का विकल्प उपयोगी हो सकता है, परंतु यह राज्यसभा चुनावों के लिये उपयुक्त नहीं है।
 - न्यायालय का मानना था कि इन चुनावों में **NOTA** का प्रयोग लोकतंत्र को हानि पहुँचा सकता है तथा दलबदल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है।
 - इसलिये, न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव से **NOTA** विकल्प हटा दिया।

अन्य लोकतांत्रिक देशों में **NOTA** जैसी पहल


- **यूरोपीय देश:** फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस अपने मतदाताओं को **NOTA** के समान मत डालने की अनुमति देते हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में मतपत्रों पर औपचारिक **NOTA** विकल्प नहीं है, कुछ राज्य लिखित मतों की अनुमति देते हैं, जो समान उद्देश्य की पूर्तिकर सकते हैं।
 - मतदाता असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में "इनमें से कोई नहीं" या अन्य नाम लिख सकते हैं।
- **कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे अन्य देश भी मतदाताओं को **NOTA** पर मत डालने की अनुमति देते हैं।**
- **NOTA विकल्प के पक्ष में तर्क:**
 - मतदाताओं की पसंद को बढ़ाता है: **NOTA** विकल्प मतदाताओं को मतपत्र में सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की क्षमता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे वे उपलब्ध विकल्पों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं।
 - बढी हुई राजनीतिक जवाबदेही: **NOTA** का अस्तित्व राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को बेहतर, अधिक सक्षम और अधिक नैतिक प्रतिनिधियों को मैदान में उतारने के लिये मजबूर करता है, क्योंकि मतदाताओं के असंतुष्ट होने पर उन्हें वोट खोने का जोखिम होता है।
 - मतदाता असंतोष की पहचान: **NOTA** वोट से चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मतदाताओं के असंतोष के स्तर के बारे में बहुमूल्य फीडबैक मिल सकता है, जिसका समाधान किया जा सकता है।
- **NOTA विकल्प के वरिद्ध तर्क:**
 - चुनावी मूल्य न होना: **NOTA** वोट केवल प्रतीकात्मक है और चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं करते हैं। भले ही **NOTA** को बहुमत प्राप्त हो, फिर भी सबसे अधिक वोट शेयर वाला उम्मीदवार जीतता है।
 - दुरुपयोग की संभावना: ऐसी चिंताएँ हैं कि **NOTA** विकल्प का दुरुपयोग मतदाताओं द्वारा उपलब्ध उम्मीदवारों को वास्तविक रूप से अस्वीकार करने के बजाय, प्रणाली के वरिद्ध वरिध व्यक्त करने के लिये किया जा सकता है।
 - जातगत पूर्वाग्रह: कुछ मामलों में आरक्षित नरिवाचन क्षेत्रों में **NOTA** को मल्लि अधिक वोट कुछ जातियों के उम्मीदवारों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, जो **NOTA** के उद्देश्य को कमजोर कर सकते हैं।
 - प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमजोर करता है: **NOTA** विकल्प प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है, क्योंकि यह वजियी उम्मीदवार को स्पष्ट जनादेश प्रदान नहीं करता है।

आगे की राह

- **पुनरनरिवाचन:** यदि **NOTA** को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, तो उस नरिवाचन क्षेत्र में नए उम्मीदवारों के साथ पुनः चुनाव कराया जाना

चाहिये।

- उदाहरण के लिये वर्ष 2018 में महाराष्ट्र **राज्य चुनाव आयोग (SEC)** ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कथिदिNOTA को सबसे अधिक वैध मत प्राप्त होते हैं, तो चुनाव दोबारा होगा।
- **उम्मीदवारों पर प्रतिबंध:** NOTA से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।
 - इसी प्रकार हरियाणा के SEC ने नगरपालिका चुनावों में **NOTA** को एक 'काल्पनिक उम्मीदवार' माना।
 - **NOTA** से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- **उम्मीदवारों पर लागत:** NOTA से हारने वाले राजनीतिक दलों को पुनर्निर्वाचन का खर्च वहन करना चाहिये। पुनर्निर्वाचन के दौरान बार-बार चुनाव होने से रोकने के लिये **NOTA** बटन को नष्क्रिय किया जा सकता है।
- **जागरुकता:** **NOTA** असहमति की आवाज़ प्रदान करता है, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये मतदाता जागरुकता बढ़ाने के प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं।





भारत निर्वाचन आयोग



Drishti IAS



परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान


भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- **सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त**- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना**- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना



नषिकरषः

भारतीय चुनारुवुं में **NOTA वकिलुडु नु मतदरतु की डुसंड**, ररकुनीतकु दलुं की कुवरुदुदुही और चुनरुवी डुरकुडुररु की ईडुनरुदरुी के डरुे में डुहतुतुवडुरण सवल उतरुए हैं। डुह डुतदरुतरुओ कु डुतदरुन करुने और चुनरुव डु डुरी तरुह से डुहडुषिकरु कडु डुनरु कसुी डुी उडुडीदवरु से अडुनी सुवीकुतु वरुडुस लेने कडु एक तरुीकडु डुरदरुन करुतरु है। इसकडु उदुदुशुडु वरुषुध में डुडुले डुए वुतरुं कु ओडुडुडुरुकु डुरु से डुनरुने डुडुगुडु डुनरुनरु है। डुह ररकुनीतकु दलुं के उडुडीदवरुं के कुषुतुर के डुरतु डुलुकडुरडु असंतुष की डुडुरी कु दुरशरुतु है।

दृषुतु डुनेस डुरशुनः

भारतीय चुनरुवुं में NOTA (इनडुं से कुई नुही) वकिलुडु की डुरडुवशुीलतरु और चुनरुतडुीं डुर डुरकु कडुडुडु। चुनरुवी डुरकुडुररु डुर इसके डुरडुव कडु वशुलुषण कडुडुडु और इस संसुथरुगत तंतुर कु डुडुडुडु करुने के उडुडु सुडुडुडु।

UPSC सवलरु सेवडु डुरीकुषडु, वडुत वरुष के डुरशुन

??????????:

डुरशुन. नडुनलखरुतु कथनुं डुर वडुडु कडुडुडु: (2017)

1. डुडुरुत कडु नरुवरुडुन अडुडुग डुडुडु-सदसुडुडु नकुडुडु है।
2. संघ कडु डुह डुंतुररुलडु, अडु चुनरुव और उडु-डुनरुवुं दुनुं के लडुडु चुनरुव कडुडुडुडु तडु करुतरु है।
3. नरुवरुडुन अडुडुग डुनडुडुतु-डुररुडुत ररकुनीतकु दलुं के वडुडुडुन/वलरुडु से संडुंधतु ववरुद नडुडुतरुतु है।

उडुरडुकुत कथनुं में से कुन-सडु/से सही है/है ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उतुतरु: (d)

??????????:

डुरशुन. डुडुरुत में डुलुकतंतुर की डुगुतरु कु डुदुनने के लडुडु डुडुरुत के चुनरुव अडुडुग ने 2016 में चुनरुवी सुधरुं कडु डुरसुतुव दडुडु है। सुडुडुए डु सुधरु कडुडु है और डुलुकतंतुर कु सडुडु डुनरुने में वे कसुी सीडु तक डुहतुतुवडुरण है? (2017)

डुरशुन. अडुदुरश अडुडुरु संहतरु के वकडुस के अलुक में डुडुरुत के चुनरुव अडुडुग की डुडुडुडु डुर डुरकु कडुडुडु। (2022)